राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम
1.	3155 / 2023 कमल नयन	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	20.11.2023	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
2.	3156 / 2023 रेखा वर्मा			
3.	3157 / 2023 अनिल माथुर			
4.	3158 / 2023 रेनु खन्ना			
5.	3159 / 2023 शारदा बजाज			

आदेश की दिनांक : 21.11.2023

समक्ष :— **शुचि शर्मा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3155 / 2023 कमल नयन बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि एक अतिरिक्त ग्रेड इंक्रीमेण्ट अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2014 से 30.06.2015 तक दिया जावे तथा पेंशन निर्धारण कर शेष राशि पर ब्याज सहित समस्त पारिणामिक लाभ भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अगस्त, 1982 में कॉलेज शिक्षा विभाग में कॉलेज लेक्चरार के पद पर सेवाएं देना प्रारंभ की और अपीलार्थी दिनांक 30.06.2015 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की एक वर्ष की सेवा दिनांक 01.07.2014 से 30.06.2015 तक पूर्ण होने के उपरांत भी एक ग्रेड इंक्रीमेण्ट नहीं दिया गया। इसी प्रकार वर्तमान मामले के समान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें यह आदेश पारित किया कि यदि कार्मिक एक जुलाई से 30 जून तक पूरे एक वर्ष तथा अच्छे व्यवहार के साथ सेवाएं देने के उपरांत सेवानिवृत्त होता है तो वह एक जुलाई की देय एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार है। परंतु अपीलार्थी को एक वर्ष की संतोषजनक सेवाएं देने उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा देय वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई, जो उक्त विधि के विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थी ने पूरे एक वर्ष संतोषजनक सेवाएं दी और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस विभाग को दिनांक 30.10.2023 को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि एक अतिरिक्त ग्रेड इंक्रीमेण्ट अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2014 से 30.06.2015 तक दिया जावे तथा पेंशन निर्धारण कर शेष राशि पर ब्याज सहित समस्त पारिणामिक लाभ भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अगस्त, 1982 में कॉलेज शिक्षा विभाग में कॉलेज लेक्चरार के पद पर सेवाएं देना प्रारंभ की और अपीलार्थी दिनांक 30.06.2015 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की एक वर्ष की सेवा दिनांक 01.07.2014 से 30.06.2015 तक पूर्ण होने के उपरांत भी एक ग्रेड इंक्रीमेण्ट नहीं दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विजय सिंह बनाम

राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of* ***C.P. Mundinamani (supra)*** *and* ***All India Judges Association (supra),*** *it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1st July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitiled to get notional payment on 1st July, notwithstanding their superannuation on 30th June.*
>
> *The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners pension would consequently be refixed. The appropriate orders be issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certitifed copy of this order."*

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत सेवानिवृत्ति होने पर एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि कार्मिक को नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान में मामले में भी अपीलार्थी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को 2 सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के प्रकाश में नियमानुसार आगामी दो माह की अवधि में अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 3155/2023 कमल नयन बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य